न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 272/2023
GCMS NO. : 2023/277

–: प्रार्थीगणः– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

नन्दीवर्धन पुत्र श्री मानसिंह
हर्षवर्धन पुत्र श्री मानसिंह
जाति राजपूत निवासीगण निमाज
तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान

1. श्रीमती वसुन्धरा कुमारी पत्नी नन्दीवर्धन राठौड जाति राजपूत निवासी निमाज तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान
2. भूमिधारक के प्रतिनिधि तहसीलदार, जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 131 भू0 राज0 अधिनियम 1956

तारीख रजू:. 27/07/2023

उपस्थितः– 1. श्री चावण्डदान बारहठ, एम.एस. पठान, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री देवेन्द्रसिंह राठौड, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– दिनाँकः– 27/06/2024

प्रार्थीगण ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 131 भू0 राज0 अधिनियम, 1956 के तहत् पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1965/4 रकबा 0.4856 हैक्टयर किस्म नहरी दोयम, आबादी ग्राम निमाज चक द्वितीय, पटवार हल्का निमाज द्वितीय, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर राजस्थान मे वाके है। जिसमे प्रार्थीगण रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है उक्त कृषि भूमि का राजस्व नक्शा एवं चालु जमाबन्दी खतौनी की प्रमाणित प्रति प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। अप्रार्थी संख्या 1 की गै0मु0 आबादी की भूमि खसरा नम्बर 1965/1 व 1965/10 कुल रकबा 0.4856 हैक्टयर किस्म गै0मु0 आबादी ग्राम निमाज द्वितीय पटवार हल्का निमाज तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज0 मे वाके है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमती वसुन्धरा कुमारी जो प्रार्थी संख्या 1 श्री नन्दीवर्धन राठौड की पत्नी है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 पति–पत्नी है व एक ही परिवार के सदस्य है व प्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 का सगा देवर है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है व प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 1965/4 की कृषि भूमि है व अप्रार्थी संख्या 1 की खसरा नम्बर 1965/1 व 1965/10 गै0मु0 आबादी की भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 काबिज है। इस बाबत् कोई विवाद नही है। भू–राजस्व अधिनियम के तहत राजस्थान सरकार द्वारा सेटेलाईट सर्वे करवाया गया जिसके आधार पर खसरा नम्बर 1965 से चिपते ही खसरा नम्बर 1965/1 व उसके चिपते ही 1965/10 की अप्रार्थी संख्या 1 की आबादी में परिवर्तित भूमि स्थित है जो गलत रूप से खसरा नम्बर 1965/4 प्रार्थीगण की भूमि के स्थान पर गलत रूप से दर्शायी दी गई जो नक्शे व जमाबन्दी खतौनी मे गलत अंकन है व प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1965/4 खसरा नम्बर 1965/10 के आगे स्थित है उसका भी नक्शे मे गलत इन्द्राज कर दिया गया जिसे दुरूस्त किया जाना जरूरी है। खसरा नम्बर 1965 से चिपते ही खसरा नम्बर 1965/1 व 1965/10 की 1.10 बीघा व 1.10

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:24:04 IST
Reason: Self Attested

(श्यामसुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
न्यायिक कलक्टर जैतारण (राज.)

घा भूमि आबादी में परिवर्तित भूमि दर्शायी जावे जो वर्तमान मे खसरा नम्बर 1965/4 रूप मे दर्शायी गई है के स्थान पर दर्शायी जावे व प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1965/4 भूमि खसरा नम्बर 1965/3 के पश्चात जहां वर्तमान मे प्रार्थीगण काबिज है दर्शायी वे। प्रार्थीगण द्वारा सेटेलाईट सर्वे मे नक्शे मे गलत इन्द्राज का दिनांक 15/06/2023 नकल लेने पर पता चला तब पटवारी हल्का निमाज द्वितीय को दुरस्ती करने का कहने उसने बताया कि आप तहसीलदार, जैतारण से मिलो जिस पर तहसीलदार जैतारण द्वारा र्थीगण को कहा कि लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर के अधिकार मे होने से उपखण्ड अधिकारी तारण को होने से आप उन्हे नक्शे मे दुरस्ती व रेकर्ड मे दुरस्ती का प्रार्थनापत्र पेश करे सलिए यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थीगण का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते बाब तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी संख्या 01 ने जरिए अधिवक्ता इकबालिया जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी/तहसीलदार, जैतारण द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थी ने अपने इकबालिया जवाब प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया कि हस्तगत प्रार्थना-पत्र में वर्णित तमाम वर्णित बिन्दुवार कथन सही है। प्रार्थनापत्र में चाहा गया नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकर्ड में तरमीम व संशोधन किया जावे तो इसमें अप्रार्थी संख्या 01 को कोई आपत्ति व एतराज नहीं हैं।

अप्रार्थी/तहसीलदार, जैतारण द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम निमाज के ख.स. 1965/4 रक़बा 0.4856 हेक्टेयर किस्म नहरी दोयम प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। ग्राम निमाज के खसरा संख्या 1965/1, रकबा 0.2428 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 1965/10 रकबा 0.2428 हेक्टर किस्म गै.मु. आबादी अप्रार्थीया वसुन्धरा कुमारी पत्नी नन्दीवर्धन राठौड़ की संपरिवर्तन भूमि है। मौका जाँच दिनाँक 07.06.2024 के अनुसार ग्राम निमाज-।। के ख.न. 1965/1, 1965/10, व 1965/4 की मौका स्थिति प्रार्थीगण के कथनानुसार ही पायी गयी। जिस बाबत् प्रार्थीगण व अप्रार्थी आपस में सहमत है। जिस अनुरूप तरमीम शुद्धिकरण किया जाना प्रस्तावित है। वादीगण ग्राम निमाज-।। के ख.नं. 1965/4, 1965/1 व 1965/10 की तरमीम दुरस्ती करवाना चाहता है। जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। बहस विद्वान वकील प्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार पर गौर कर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है-

1. प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1965/4 रकबा 0.4856 हैक्टयर किस्म नहरी दोयम, आबादी ग्राम निमाज चक द्वितीय पटवार हल्का निमाज द्वितीय तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान में वाके है।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की गै0मु0 आबादी की भूमि खसरा नम्बर 1965/1 व 1965/10 कुल रकबा 0.4856 हैक्टयर किस्म गै0मु0 आबादी ग्राम निमाज द्वितीय पटवार हल्का निमाज तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान मे वाके है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 काबिज है।
3. भू राजस्व अधिनियम के तहत राजस्थान सरकार द्वारा सेटेलाईट सर्वे करवाया गया जिसके आधार पर खसरा नम्बर 1965 से चिपते ही खसरा नम्बर 1965/1 व उसके चिपते ही 1965/10 की अप्रार्थी संख्या 1 की आबादी में परिवर्तित भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:24:04 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

स्थित है जो गलत रूप से खसरा नम्बर 1965/4 प्रार्थीगण की भूमि के स्थान पर गलत रूप से दर्शायी दी गई जो नक्शे व जमाबन्दी खतौनी मे गलत अंकन हैव प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1965/4 खसरा नम्बर 1965/3 के आगे स्थित है। उसका भी नक्शे मे गलत इन्द्राज कर दिया गया जिसे दुरूस्त किया जाने हेतु इस्तदुआं की है।

4. तहसीलदार जैतारण ने अपने जवाब प्रा0पत्र में कथन किया कि ग्राम निमाज के खसरा संख्या 1965/1, रकबा 0.2428 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 1965/10 रकबा 0.2428 हेक्टर किरम गै.मु. आबादी अप्रार्थीया वसुन्धरा कुमारी पत्नी नन्दीवर्धन राठौड़ की संपरिवर्तन शुदा भूमि है। मौका जाँच दिनाँक 07.06.2024 के अनुसार ग्राम निमाज–।। के ख.न. 1965/1, 1965/10, व 1965/4 की मौका स्थिति प्रार्थीगण के कथनानुसार ही पायी गयी। जिस बावत् प्रार्थीगण व अप्रार्थी आपस में सहमत है। जिस अनुरूप तरमीम शुद्धिकरण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दुरूस्ती नक्शा ट्रेस एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 तहसीलदार जैतारण के जवाब प्रा0पत्र से भली भाँति साबित होने एवं वादग्रस्त आराजी के खातेदार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 रेकर्ड दुरूस्ती हेतु आपस में सहमत होने से उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकर्डस) नियम 1957 के नियम 60, 62, 66, 67, 187, 354, के अर्न्तगत भू–नक्शा में तरमीम किया जाना आवश्यक एवं विधि संगत है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी भलीभांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम निमाज चक द्वितीय, पटवार हल्का निमाज द्वितीय, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि के राजस्व नक्शों को दुरूस्त किया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती जानें हेतु पटवारी हल्का निमाज द्वितीय एवं भू अभिलेख निरीक्षक वृत निमाज को निर्देश दिये जाते है। भू–अभिलेख में दर्ज अभिलेखीय त्रुटि के शुद्धि उपरांत भूमि की भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकर्डस) नियम 1957 के नियम 60, 62, 66, 67, 187, 354, के अर्न्तगत भू–नक्शा में तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण,ब्यावर

निर्णय आज दिनाँक 27/06/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण,ब्यावर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:24:04 IST
Reason: SelfAttested